न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 161 / 2025
निर्णय दिनांक : 17.09.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 315
दायर दिनांक – 17.09.2025

अर्जुनराम बनाम राजस्थान सरकार

–ःनिर्णयः–

ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी अर्जुनराम पुत्र जगदीश प्रसाद स्वामी निवासी बोबासर बीदावतान द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम बोबासर बीदावतान की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 316 में प्रार्थी के पिता का नाम जगनदास पुत्र सुरजदास दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजराम अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट का अंकन है। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्राथी के पिता का नाम जगनदास पुत्र सुरजदास दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू. अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजराम है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात ,आधार कार्ड की प्रति एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076–2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में निम्नानुसार रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	बोबासर बीदावतान	316	जगनदास पुत्र सुरजदास	जगदीश प्रसाद पुत्र सुरजराम

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

क्रमांक – रीडर / 2025 /
दिनांक 17.09.2025

1. तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)